



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 26.12.25

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 459/25 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 24.12.2025 को थाना खेकडा पर आवेदक श्री भूपेन्द्र पुत्र भोन्दू सिंह निवासी ग्राम वढ़पुरा दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा लिखित सूचना दी गई कि अभियुक्तों 1- सचिन (पति) पुत्र फिरे सिंह, 2- नवीन (जेठ) पुत्र फिरे सिंह, 3- मांगे (जेठ) पुत्र फिरे सिंह, 4-सास, 5- 02 ननदों निवासीगण ग्राम गोठरा, थाना



खेकडा, जनपद बागपत द्वारा दहेज में स्कार्पियो गाड़ी, ₹10,00,000/- नगद व सोने के आभूषण की मांग की जाती थी तथा दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी की भतीजी की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई एवं वादी की दूसरी भतीजी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 459/25 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 459/25 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त सचिन पुत्र फिरे सिंह निवासी ग्राम गोठरा थाना खेकडा जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सचिन पुत्र फिरे सिंह निवासी ग्राम गोठरा थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री भूरेन्द्र सिंह चौहान थाना खेकडा जनपद बागपत।
2. है०का० 08 मुकेश कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
3. है०का० 886 अमित कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक – 26/12/2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टे की खाई बाड़ी करते हुए 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से कुल नकद 1130 रुपये व 04 सट्टा पर्ची, 01 पैन, 01 पर्ची डायरी बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टे की खाई बाड़ी करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुल नकद 1130 रुपये व 04 सट्टा पर्ची, 01 पैन, 01 पर्ची डायरी बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. शाहरुख पुत्र अब्बास कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
2. मुस्तकीम पुत्र शमीरदीन कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
3. फरमान पुत्र अफजल कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
4. शाहरुख पुत्र सलीमु कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- कुल नकद 1130 रुपये
- 04 सट्टा पर्ची
- 01 पैन्
- 01 पर्ची डायरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० भुरेन्द्र सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
2. है०का० 03 मनोज कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
3. है०का० 08 मुकेश कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
4. है०का० 886 अमित थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 26.12.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

बिहू पुत्र नत्थू निवसी करबा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-है0का0 533 गजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।